35 क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा
ए–1, प्रथम तल, कॉमर्शियल काम्प्लेक्स, बीटा–2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर
ई–मेल : rogreaternoida@uppcb.in, फोन / फैक्स- 0120-4259329

सन्दर्भ संख्या : 1451 /NGT-58/22 दिनांक : 25/1/23

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in

Sub: Action taken report in compliance of the order dated 14.12.2022 passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Dellhi in Original Application No. 551 of 2022 Dr. Ashok Kumar Versus State of U.P.

Sir,

That in compliance of the order dated 14.12.2022 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 551 of 2022 Dr. Ashok Kumar Versus State of U.P., Action taken report on behalf of U.P. Pollution Control Board is annexed herewith and forwarded to you with the request that the same may be placed before the Hon'ble Tribunal.

Yours Sincerely

Enclosure- As above

25/01/2023

(Radhey Shyam)
Regional Officer

Copy to:

1. Shri Pradeep Misra, Advocate on Record, Hon'ble NGT, New Delhi for persual and necessary action please.
2. Chief Environmental Officer, C-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information please.
3. Law Officer-1, U.P. Pollution Control Board, TC-12V, Vibhuti Khand, Gomati Nagar, Lucknow for information and necessary action please.

Regional Officer

Compliance Report

In

Original Application No. 551/2022

Dr. Ashok Kumar

Versus

State of U.P.

<u>Order Date – 14.12.2022</u>

Filed on Behalf of:
Uttar Pradesh Pollution Control Board

1. Background

In compliance of Hon'ble NGT passed order on 06.09.2022 in O.A. No. 551/2022 in the matter of Dr. Ashok Kumar Vs State of U.P., Compliance report submitted by the joint committee through nodal agency, UPPCB vide letter dated 12.12.2022. Further, relevant paras of the order dated 14.12.2022 passed by Hon'ble NGT are reproduced below: -

"......*4. In view of the averments made in the application and observations made in the report, we consider it appropriate to have response from (1) the State of Uttar Pradesh (U.P.), through the Chief Secretary, Government of U.P.; (2) the Member Secretary, UPPCB; (3) the Chief Executive Officer, Greater Noida Industrial Development Authority; (4) the District Magistrate, Gautam Bhudhnagar and (5) M/s. PMSS Building Material Pvt. Ltd.-project proponent, who stand impleaded as respondents No. 1 to 5. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application. Respondent no. 2 is already appearing before this Tribunal through counsel. Notices be issued to respondents no. 1 and 3 to 5.*

5. Reply/response by respondents no. 1 to 5 be filed within one month by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 01.02.2023.

Vivek

Action Taken by U.P. Pollution Control Board: 38

Inspection/present status report of M/s PMSS Building Material Pvt. Ltd., Khasra no. 663, Vill. -Patwari, 130-meter road, near Eros Sampoornam society, Greater Noida west, Gautambuddh Nagar.

Latest inspection of the M/s PMSS Building Material Pvt. Ltd., Khasra no. 663, Vill. -Patwari, 130-meter road, near Eros Sampoornam society, Greater Noida west, Gautambuddh Nagar was done on dt. 16.01.2023. The inspection report is as follows:-

I. At the time of inspection, no representative of the unit was present.
II. Since, M/s PMSS Building Material Pvt. Ltd., Khasra no. 663, Vill. -Patwari, 130-meter road, near Eros Sampoornam society, Greater Noida west, Gautambuddh Nagar was operating without obtaining CTO from U.P. Pollution Control Board so the closure order issued U/s 31-A of Air (Prevention and Control) Act, 1981 vide letter no. H-85449/C-1/Air/Sa-1120/Closure Order/2022 dt. 12.12.2022. Copy enclosed as **Annexure-1**.
III. The site was again inspected by the official of U.P. Pollution Control Board on 16-01-2023 and during inspection, it was found that the unit M/s PMSS Building Material Pvt. Ltd., Khasra no. 663, Vill. -Patwari, 130-meter road, near Eros Sampoornam society, Greater Noida west, GautamBuddha Nagar is closed in compliance of closure order dated 12-12-2022 and Plant machineries were found sealed.
IV. It was also found that all the raw material and product which were lying on site, has been removed.
V. Photographs taken during inspection are as follows:-

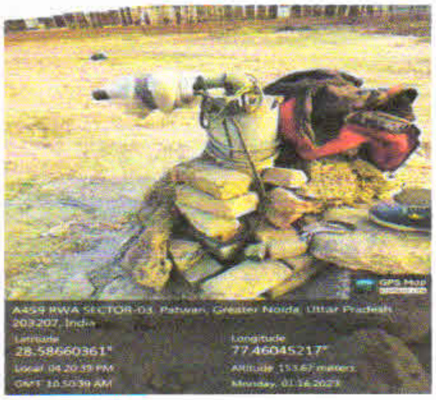

Inspection report is being submitted for kind consideration please.

Vivek 25/1/23
(Vivek Kumar)
AEE

25/1/2023
(Ranjeet Singh)
AEE

Regional Officer

25/01/2023

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref No- H85449/C-1/वायु/सा0–1120/बन्दी आदेश/2022 Date: 12.12.22

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0लि0,
खसरा नं0–663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड,
निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी,
ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर।

यह कि मैसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0लि0, खसरा नं0–663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड, निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर जो स्टोन डस्ट को रोटरी वाशर द्वारा पानी से धुलाई कर मिट्टी एवं सैण्ड को पृथक्कीकरण कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर संचालित है जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि इकाई मैसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा0लि0, खसरा नं0–663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड, निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर का निरीक्षण ओ0ए0 संख्या 551/2022 डॉ0 अशोक कुमार बनाम उ0प्र0 सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.2022 के अनुपालन में दिनांक 15.10.2022 एवं वर्तमान निरीक्षण दिनांक 21.11.2022 को किया गया। निरीक्षणोपरात उक्त इकाई को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 932/सा0–66/22 दिनांक 19.10.2022 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने एवं राज्य बोर्ड से संचालनार्थ सहमति जल/वायु प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किये जाने का उल्लेख किया गया है। किन्तु इकाई के प्रतिउत्तर के साथ आवेदन की प्रति प्रेषित नहीं की गयी है और न ही ओ0सी0एम0एम0एस0 की वेबसाइट पर पेन्डिंग सूची में है। निरीक्षण के समय इकाई में जल आपूर्ति हेतु 02 नग बोरवेल (3.5 एच0पी0 एवं 1.5 एच0पी0) स्थापित पाया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा उक्त बोरवेल से भूगर्भ जल निष्कर्षण हेतु उ0प्र0 भू–गर्भ जल विभाग द्वारा निर्गत रजिस्ट्रेशन/अनुमति उपलब्ध नहीं करायी गयी। संयुक्त निरीक्षण दिनांक 15.10.2022 में इकाई परिसर के अन्दर कच्चे माल को खुले में भण्डारित होने एवं उचित जल छिड़काव न होने के दृष्टिगत क्षेत्रीय कार्यालय के पत्रांक 932/सा0–66/22 दिनांक 19.10.2022 द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0 1,00,000/–(रू0 एक लाख मात्र) अधिरोपित किये जाने का पत्र प्रेषित किया गया है। इकाई का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त किये बिना ही किया जा रहा है, जो जल एवं वायु अधिनियमों के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा उद्योग द्वारा किये जा रहे वायु प्रदूषण से जन स्वास्थ्य पर संभावित दुष्प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में जनस्वास्थ्य की रक्षा एवं जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत निहित शक्तियों के अनुसरण में आपकी औद्योगिक इकाईयों के विरूद्ध निषेधात्मक कार्यवाही करते हुए उद्योग के संचालन को रोका जाये।

2—/–

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाष : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स : 0522-2720764
ई–मेल : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
Fax : 0522-2720764
e-mail : info@uppcb.com| website: www.uppcb.com

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में आपकी औद्योगिक इकाईयों को सक्षम अधिकारी के अनुमति से निम्नलिखित बंदी आदेश जारी किये जाते है:-

1. यह कि मैसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा०लि०, खसरा नं०-663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड, निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर की संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है मैसर्स पीएमएसएस बिल्डिंग मैटेरियल प्रा०लि०, खसरा नं०-663, ग्राम पतवाड़ी, 130 मीटर रोड, निकट इरोज सम्पूर्णम सोसाइटी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौतमबुद्धनगर को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, ग्रेटर नोएडा को इस आशय से प्रेषित की उद्योग की विद्युत आपूर्ति तत्काल विच्छेदित करने का कष्ट करे।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुवर्ती कार्यवाही सहित अनुपालन आख्या ससमय मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-1)